

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,  
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना ।

पत्रांक:— .....430...../पटना, दिनांक:— .....06-05-2005

राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना की सामान्य सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप निदेशानुसार परीक्षा पर्षद का पुनर्गठन किया जाता है। इसके निम्नांकित सदस्य होंगे:—

- |   |            |
|---|------------|
| 1. विकास आयुक्त, बिहार, पटना                              | अध्यक्ष    |
| 2. सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना        | सदस्य      |
| 3. निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना      | "          |
| 4. प्राचार्या, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फुलवारीशरीफ, पटना | सदस्य      |
| 5. प्राचार्य, नवीन राजकीय पोलिटेकनिक, पटना—13             | "          |
| 8. सचिव, राज्य प्रावैधिकी शिक्षा पर्षद, पटना              | सदस्य सचिव |

क्रम संख्या 3, 4 एवं 5 पर मनोनीत सदस्यों की कार्यअवधि तीन वर्षों की होगी। निदेशानुसार पुनर्गठित परीक्षा पर्षद की प्रथम बैठक दिनांक—09.05.2005 को अपराह्न 12.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के कार्यालय कक्ष में निर्धारित है।

ह/—  
(श्री भगवान सिंह)  
सचिव,  
राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद,  
बिहार, पटना ।